

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 478 /2025

दिनांक : 13.02.2025


श्रीमती आस्था अग्रवाल (RJ01281), न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, कुड़ली, सीकर को दिनांक 10.02.2025 से 08.08.2025 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम) दिनांक 08.02.2025 से 09.02.2025 एवं 09.08.2025 से 10.08.2025 तक के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती आस्था अग्रवाल (RJ01281), के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान उनके न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारी को निम्नानुसार पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

क. स.	अधिकारी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-	न्यायालय, जिसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-
01	सुश्री शिखा शर्मा (RJ01463), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम.-01, सीकर।	श्रीमती आस्था अग्रवाल (RJ01281), न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, कुड़ली, सीकर।

- ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- सुश्री शिखा शर्मा (RJ01463), जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/33/2020/1247

दिनांक: 13.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 1080 दिनांक 04.02.2025 के सन्दर्भ में।
- श्रीमती आस्था अग्रवाल (RJ01281), न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, कुड़ली, सीकर।
- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, कुड़ली, सीकर।
- सुश्री शिखा शर्मा (RJ01463), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम.-01, सीकर।
- अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम.-01, सीकर।
- संबंधित कोषालय।
- संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार